भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 44

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मछुआरों पर हमले

44. श्री हैबी ईडन:
श्री एस. रामलिंगमः
श्री एस. वेंकटेशन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार समुद्र में भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों की नौसेनाओं द्वारा भारतीय मछुआरों पर कितनी बार हमले किए गए हैं,

(ग) क्या सरकार ने नागापट्टिनम और मयिलादुथुरई जिलों के तटीय जिलों में भारतीय मछुआरों पर समुद्र में होने वाले हमलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है,

(घ) वर्ष 2003 से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कितने मछुआरे गिरफ्तार/रिहा किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार को विदेशी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की जानकारी है और यदि हां, तो पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य देशों की जेलों में कितने मछुआरे बंद हैं और सरकार द्वारा इन मछुआरों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, हिफाज़त और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय मछुआरों को सामन्यत: विभिन्न देशों द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को पार करने के लिए हिरासत में लिया जाता है। भारतीय तटरक्षक द्वारा मछुआरों को विभिन्न सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से कथित आईएमबीएल को पार न करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जाते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज और विमान आईएमबीएल पर कड़ी निगरानी रखते हैं और पड़ोसी देशों की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से बचाव के लिए उनकी नौकाओं को भारतीय समुद्री सीमा की ओर ले जाते हैं।

(ख और ग) पिछले तीन वर्षों में पड़ोसी देशों की नौसेनाओं द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले की 13 घटनाएं हुईं। जब भी भारतीय मछुआरों पर हमले की सूचना मिलती है, तो सरकार राजनयिक चैनल के माध्यम से उच्चतम स्तर

सहित संबंधित देश की सरकार के साथ यह मामला उठाती है।भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा भारतीय मछुआरों को कोंसली पहुंच प्राप्त करने, उनकी सलामती सुनिश्चित करने और नौकाओं सहित उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने और स्वदेश वापसी के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। मिशनों/केंद्रों के कोंसली अधिकारी स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं ताकि वहां कैद भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाया जा सके और भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि के माध्यम से कानूनी सहायता सहित आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके। विदेश स्थित मिशन/केंद्र जांच और न्यायिक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क भी करते हैं।सरकार का पूरा प्रयास मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने पर है।

सरकार ने भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और हिफाजत को बढ़ावा देने के लिए भारत और संबंधित देशों के बीच सहयोग और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं।

संबंधित देश की सरकार से मछुआरों के मामले पर मानवीय और आजीविका संबंधी मसले के रूप में विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग न किया जाए।

(घ) श्रीलंका की नौसेना द्वारा 2003 से अब तक गिरफ्तार/रिहा किए गए मछुआरों की संख्या के संबंध में मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ङ) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 266 भारतीय मछुआरे विदेशी जेलों [बहरीन – 10, पाकिस्तान – 184, सऊदी अरब –31, श्रीलंका –25] में हैं।

*****

अनुबंध – क

वर्ष	गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों की संख्या	रिहा किए गए भारतीय मछुआरों की संख्या
2024	46	34 (2023 से 12 और 2024 से 22)
2023	240	243 (2022 से 16 और 2023 से 227)
2022	268	320 (2021 से 68 और 2022 से 252)
2021	159	131 (2020 से 40 और 2021 से 91)
2020	74	49 (2019 से 15 और 2020 से 34)
2019	210	205 (2018 से 10 और 2019 से 195)
2018	156	230 (2017 से 84 और 2018 से 146)
2017	453	420 (2016 से 51 और 2017 से 369)
2016	290	333 (2015 से 94 और 2016 से 239)
2015	454	375 (2014 से 15 और 2015 से 360)
2014	787	1045 (2013 से 273 और 2014 से 772)
2013	676	403
2012	197	197
2011	198	198
2010	26	26
2009	127	127
2008	1456	1456
2007	107	107
2006	19	19
2005	शून्य	शून्य
2004	109	109
2003	606	606

*****